

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना

प्रार्थना सं 227/ 2020 अन्तर्गत धारा 212 Rt. Act

बिमला देवी बनाम अंकित कुमार आदि

आदेश दिनांक	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
21.12.2020	<p>यह प्रार्थना पत्र प्रार्थी की ओर से श्री गुलशन डांगी अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत करने पर बाद जांच पेश हुआ। प्रार्थना पत्र बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया गया। अधिवक्ता प्रार्थी ने अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा पर सुना जाने का निवेदन किया गया। अधिवक्ता प्रार्थी को एक पक्षीय सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। अतः अप्रार्थी संख्या 6 से 14 को आगामी तारीख पेशी तक जरिये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वाके ग्राम भालोट स्थित भूमि खसरा नम्बर 1271/968, 233, 345, 967 किता 4 कुल रकबा 1.60 है., तथा खसरा नम्बर 527 रकबा 1.70 है. एवं खसरा नम्बर 1261/937 रकबा 0.89 है. एवं खसरा नम्बर 1266/967, 986 किता 2 कुल रकबा 0.30 है. में प्रार्थीया के हिस्से की भूमि में किसी प्रकार का रहन, बेचान, दान आदि नही करे, तथा प्रार्थीया के कब्जेकास्त में दखलदांजी नही करे। पत्रावली वास्ते तलबी दिनांक 21.01.2021 को पेश हो।</p>	

उपखण्ड अधिकारी, बुहाना

19-01-2021 प्रार्थी या बिमला देवी की ओर से प्रार्थना पत्र पेश करने पर पत्रावली रिकार्ड से तलब की गई। प्रार्थी या में अपने प्रार्थना पत्र में कथन किया है कि दायु की पत्रावली में उनका पक्षकारों के मध्य राजीनामा हो गया है। इसलिसे वह उक्त प्रार्थना पत्र को विज्ञा (प्रमाणित) करना चाहेगी

श. वि. विभागाध्यक्ष
 19/01/2021
 अ. अ.



है। प्राचीन या पुरा पस्तुत प्राचीन
पत्र पर प्राचीन को खुला गया।
पदावली का द्वायतपूर्वक अक्लौकन
मनन किया गया। प्राचीन का
पस्तुत प्राचीन - पत्र स्वीकार किया
जाकर प्राचीन को प्राचीन - पत्र
अर्थात् निषेधाज्ञा विज्ञा (प्रमाणित)
करने की अनुमति प्रदान की जाती
है। पदावली दर्ज नम्बर से कम
होकर मूल पाठ संख्या 179/2020
अनुवर्ती विमला देवी N/S अंकित
कुमार आदि के संलग्न रहे।

उपखण्ड अधिकारी, बुहाना
जिला बुन्देलखण्ड (राज०)